न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी- श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 224 / 2023

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
जालमसिंह पुत्र उत्तमसिंह उम्र 45 वर्ष जाति राजपूत निवासी दण्ढ बामणी [illegible] तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1 अर्जुनसिंह पुत्र खेतसिंह उम्र 50 वर्ष 2 [illegible] पुत्र किशोरसिंह उम्र 49 वर्ष 3 [illegible] पुत्र खेतसिंह उम्र उम्र 57 वर्ष 4 [illegible] पुत्र उत्तमसिंह उम्र 40 वर्ष 5 देवीसिंह पुत्र [illegible] उम्र 42 वर्ष 6 नरपतसिंह पुत्र खेतसिंह उम्र 65 वर्ष 7 निम्बसिंह पुत्र किशोरसिंह उम्र 46 वर्ष 8 मंगलसिंह पुत्र खेतसिंह उम्र 60 वर्ष 9 मदन कंवर पुत्री उत्तमसिंह उम्र 47 वर्ष 10. मोहनसिंह पुत्र खेतसिंह उम्र 52 वर्ष 11. रतन कंवर पुत्री उतमसिंह उम्र 70 वर्ष 12. राणसिंह पुत्र उतमसिंह उम्र 68 वर्ष 13. लुंग कंवर पत्नि किशोरसिंह उम्र 75 वर्ष 14. सायर कंवर पुत्री उतमसिंह उम्र 55 वर्ष 15. सोहनकंवर पुत्री उतमसिंह उम्र 49 वर्ष जातियान राजपूत निवासीयान दण्ढ बामणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 16. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–

1.श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2.एकतरफा– विप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:44:49 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक– 14.12.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा दण्ढ तहसील सिणधरी की खसरा

सहखातेदार है, कि प्रार्थी का वास्तविक नाम जालमसिंह पुत्र उतमसिंह के स्थान पर उक्त खेतों में राजस्व कार्मिकों की भूलवंश से जबरसिंह पुत्र उतमसिंह गलत नाम दर्ज हो रखा है। जबकि अन्य खेत मौजा लोहिड़ी तहसील सिणधरी के खाता सं. 67 में सहखातेदारी के खेत में प्रार्थी का नाम जालमसिंह पुत्र उतमसिंह दर्ज है, जो सही रूप से अंकित है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित भूमि में दायर जबरसिंह पुत्र उतमसिंह के स्थान पर जालमसिंह पुत्र उतमसिंह दुरूस्त करवानें हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए। जो विप्रार्थीगण बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए कथन किया कि मौजा दण्ढ़ तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 184/3 रकबा 4.3686 हैक्टेयर, खसरा संख्या 7 रकबा 0.0566 हैक्टेयर व खसरा संख्या 8 रकबा 8.4136 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी का वास्तविक नाम जालमसिंह पुत्र उतमसिंह के स्थान पर उक्त खेतों में राजस्व कार्मिकों की भूलवंश से जबरसिंह पुत्र उतमसिंह गलत नाम हो रखा है। जिसके कारण प्रार्थी को सरकारी योजनाओं का कोई फायदा नहीं हो रहा हैं। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में इन्द्राज जबरसिंह पुत्र उतमसिंह के स्थान पर जालमसिंह पुत्र उतमसिंह दुरूस्ती किये जाने का आदेश फरमावें।

4. हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड व सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा दण्ढ़ तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 184/3 रकबा 4.3686 हैक्टेयर, खसरा संख्या 7 रकबा 0.0566 हैक्टेयर व खसरा संख्या 8 रकबा 8.4136 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम जबरसिंह पुत्र उतमसिंह इन्द्राज है, पत्रावली के सलंग्न सरकारी दस्तावेजात यथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड प्रति,राशन कार्ड की प्रति तथा स्टेट बैंक इण्डिया– बैंक शाखा सेडू की पासबुक प्रति के साथ ही मौजा लोहिड़ी तहसील सिणधरी के खाता सं. 67 में प्रार्थी का नाम जालमसिंह पुत्र उतमसिंह अंकित है। उपरोक्त विवेचन से साबित होता है,कि प्रार्थी का विवादित भूमि में गलत नाम जबरसिंह पुत्र उतमसिंह इन्द्राज हो रखा है, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम जालमसिंह पुत्र उतमसिंह है। जो प्रार्थी विवादित भूमि में जबरसिंह के स्थान पर जालमसिंह दुरूस्ती करवानें के योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:44:49 IST
Reason: SelfAttested